कार्यालय, प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, बुलन्दशहर।

पत्रांक– 419 /14-1 ,बुलन्दशहर, दिनांक, 09, अगस्त,2021

सेवा में,

गैसर्स इन्डियन ऑयल,
अडानी गैस प्रा० लि०,
द्वितीय तल निगट प्लाजा सामद रोड, सेन्टर पाईन्ट
अलीगढ ।

विषय:– ग्राम अनीवास एवं मखैना में पड़ने वाली अनूपशहर ब्रांच नहर को कास करते हुए गैस पाईप लाईन डालने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– आपका पत्र सं0 आई0ओ0ए0जी0पी0एल0/ए0एल0जी0/ फारेस्ट/ 41 दिनांक 23.01.2021 एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या 2868/14–1 दिनांक 19.02.2021, पत्र संख्या 3694/14–1 दिनाक 21.05.2021 पत्र सं0 235/14-1 दिनांक 27-7-2021

इस कार्यालय की पत्र संख्या 2868/14–1 दिनांक 19.02.2021 द्वारा आपको अवगत कराया था कि आप द्वारा ग्राम अनीवास एवं मखैना में पड़ने वाली अनूपशहर ब्रांच नहर को कास करते हुए 0.015 है0 संरक्षित वन भूमि में गैस पाईप लाईन डालने के प्रस्ताव भेजे गये हैं वह अपूर्ण है।

आपको भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय मध्य लखनऊ के पत्र सं0 11/मिस0/618/2016–17/यू0पी0/राज0/दिल्ली/|||/37 दिनांक 23.06.2017 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ के पत्र सं0 17/11सी दिनांक 04.07.2017 के साथ संलग्न वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव में संलग्न होने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र को लगाने हेतु 42 बिन्दुओं की सूची एवं प्रस्ताव में आमतौर पर पायी जाने वाली कमियों/त्रुटियों के सम्बन्ध में 34 बिन्दु की सूची संलग्न कर भेजी गयी थी कि आप इन बिन्दुओं का भली भाँति अध्ययन कर चैकलिस्ट के अनुसार प्रस्ताव तैयार कराकर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। अतः आप समस्त प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 338/11–सी दिनांक 29.07.2021(छाया प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्तावों की हार्ड कापी एवं उसकी सोफ्ट कापी (पी0डी0एफ0) पेनड्राईव सहित उपलब्ध कराये जाने के हेतु लिखा है।

अतः आप प्रस्ताव के प्रथम पृष्ठ (विषय सूची) से लेकर प्रस्ताव के अन्तिम पृष्ठ तक की पी0डी0एफ0 फाईल पेन ड्राईव में पाँच प्रतियों में उपलब्ध करायें। ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बुलन्दशहर।